न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –9 / 2016 जिला सीकर

अनवर पुत्र गनी खां, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 19, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर जरिये मुख्त्यारआम इमरान पुत्र अनवर खां कायमखानी, वार्ड नम्बर 19, फतेहपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सिकन्दर पुत्र असगर खां कायमखानी मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 19 फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर , जिला सीकर ।
2. सरपंच, ग्रम पंचायत रोलसाहबसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
3. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
4. पदेन सचिव, ग्रम पंचायत रोलसाहबसर , तहसील फतेहपुर , जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर
दिनांक 13.5.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आत्माराम शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री कमलेश शर्मा

निर्णय

दिनांक– 10.7.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.5.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा , तहसील फतेहपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 1.69 हैक्टेयर में से 3 / 5 हिस्से के खातेदार हुसैन, गनी, असगर पि. मोहम्मद एवं खसरा नम्बर 100 रकबा 8.94 हैक्टेयर में से 4 / 5 हिस्से के खातेदार युसुफ, हुसैन, गनी, असगर पि. मोहम्मद थे । उक्त खातेदारों में से खातेदार हुसैन व गनी पुत्रान मोहम्मद की विरासत का नामांतरकरण संख्या 244 ग्रम पंचायत रोलसाहबसर द्वारा दिनांक 10.3.2011 को खुर्शीद खां, मनवर खां, महबूब खां पुत्रगण हुसैन खां, गुलसन, नसीम, इस्लाम, ताहीरा, अख्तर बानो पुत्रियॅा हुसैन खां हिस्सा 1 / 5 हि.ब. तथा गनी खां के स्थान पर अनवर खां, दत्तक पुत्र गनी खां हिस्सा 1 / 5 के नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 20.3.2011 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट सिकन्दर पुत्र असगर खां द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.5.2016 कैम्प कोर्ट ढाढण, तहसील रामगढ शेखावाटी द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 244 जो खातेदार हुसैन की विरासत का दर्ज कर प्रस्तुत किये जाने, परन्तु ग्रम पंचायत द्वारा अन्य लोगों के नाम विरासत दर्ज करने एवं इसका कोई कारण या आधार भी ग्रम पंचायत द्वारा अंकित नहीं किये जाने तथा ग्रम पंचायत रोलसाहबसर के पत्र कमांकः 74 दिनांक 26.2.2016 द्वारा दिनांक 10.3.2011 को कोई ग्रम सभा नहीं होने ओर ना ही ग्रम पंचायत में विवादित नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर

नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 10.3.2011 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करें । उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्रम पंचायत ढाढण के निर्णय दिनांक 13.5.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनवर पुत्र गनी खां द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी के निर्णय दिनांक 13.5.2016 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 244 यथावत कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सिकन्दर खां पुत्र असगर खां है जिसको हुसैन खां एवं गनी खां पि. मौहम्मद खां की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 244 को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि वह किसी भी प्रकार से प्रश्नगत नामांतरकरण से पीडित, प्रभावित एवं व्यथित नहीं था । ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकसस्टेन्डाई नहीं था । रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त नहीं की । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ , जिला सीकर के समक्ष वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व अभिलेख में संशोधन हेतु विचाराधीन रहते, रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण की अपील प्रस्तुत की थी जबकि पक्षकारान के हकों का निर्धारण, विचाराधीन वाद में ही होना है न कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 10.3.2011 के खिलाफ प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.3.2015 करीबन चार वर्ष मियाद बाहर पेश की थी तथा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने भी मियाद के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया ओर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर कर दिया , जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को मियाद के बिन्दु को तय करना चाहिये था , लेकिन ऐसा नहीं कर निर्णय पारित किया है, जो क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को समझे बिना एवं वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी दिनांक 13.5.2016 निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 244 यथावत कायम रखा जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम पंचायत द्वारा मृतकों के वारिसानों की विधिवत जॉच किये बिना व बिना नोटिस दिये केवल शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है , जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि भूमिधारी गनी खां 40 साल पहले फौत हो चुका था जिसके कोई जाईन्दा औलाद अथवा वारिस नहीं थे ओर ना ही मृत्यु के समय वसियत आदि बनाई थी । गनी खां ने खुर्शीद खां पुत्र हुसैन खां को बचपन से ही कायमखानी समाज के प्रचलित नीति रिवाज के अनुसार समस्त बिरादरी के सामने दत्तक पुत्र बना लिया था तथा खुर्शिद खां ने ही गनी खां की सेवा सुश्रुषा की तथा गनी खां का चाल

चलावा अर्था उसका चालीसा किया एवं सामाजिक रीति रिवाज से खुर्शिद खां के ही गनी खां की पगडी बंधी थी , लेकिन अपीलान्ट ने षडयंत्र रचकर बिना किसी जॉच के नामांतरकरण तस्दीक कराया है , जो प्राकृतिक न्यायक के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है । ग्रम पंचायत रोलसाहबसर के पत्र कमांकः 74 दिनांक 26.2.2016 द्वारा नामांतरकरण की दिनांक 10.3.2011 को कोई ग्रम सभा नहीं होना ओर ना ही ग्रम पंचायत में विवादित नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध होना अंकित किया है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने ग्रम पंचायत द्वारा अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर नामांतरकरण तस्दीक किया जाना एवं यदि विरासत के संबंध में कोई विवाद था तो ग्रम पंचायत को नामांतरकरण तहसीलदार रामगढ के पास भिजवाना चाहिये था, मानते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किया है तथा प्रकरण जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण किये जाने हेतु तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हुसैन खां एवं गनी खां की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण सख्या 244 दिनांक 10.3.2011 के संबंध में है । खातेदार हुसैन व गनी पुत्रान मोहम्मद की विरासत का नामांतरकरण संख्या 244 ग्रम पंचायत रोलसाहबसर द्वारा दिनांक 10.3.2011 को खुर्शीद खां, मनवर खां, महबूब खां पुत्रगण हुसैन खां, गुलसन, नसीम, इस्लाम, ताहीरा, अख्तर बानो पुत्रियॅा हुसैन खां हिस्सा 1/5 हि.ब. तथा गनी खां के स्थान पर अनवर खां, दत्तक पुत्र गनी खां हिस्सा 1/5 के नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 20.3.2011 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट सिकन्दर पुत्र असगर खां द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड़ अधिकारी रामगढ शेखावाटी , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.5.2016 कैम्प कोर्ट ढाढण, तहसील रामगढ शेखावाटी द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 244 जो खातेदार हुसैन की विरासत का दर्ज कर प्रस्तुत किये जाने, परन्तु ग्रम पंचायत द्वारा अन्य लोगों के नाम विरासत दर्ज करने एवं इसका कोई कारण या आधार भी ग्रम पंचायत द्वारा अंकित नहीं किये जाने तथा ग्रम पंचायत रोलसाहबसर के पत्र कमांकः 74 दिनांक 26.2.2016 द्वारा दिनांक 10.3.2011 को कोई ग्रम सभा नहीं होने ओर ना ही ग्रम पंचायत में विवादित नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 10.3.2011 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में जॅाच कर नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करें ।

हस्ता/ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सिकन्दर के पिता असगर खां मृतक हुसैन एवं गनी खां के भाई एवं सहखातेदार है । ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सिकन्दर पुत्र असगर प्रभावित पक्षकार है, जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक है । पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण हुसैन खां की विरासत का दर्ज किया था, लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की जॅाच किये बिना एवं उन्हें बिना सुने हुसैन खां की विरासत के साथ साथ गनी खां की विरासत भी दर्ज करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट सिकन्दर पुत्र असगर खां की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी , जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय

दिनांक 13.5.2016 कैम्प कोर्ट ढाढण, तहसील रामगढ शेखावाटी द्वारा विवादित नामांतरकरण संख्या 244 जो खातेदार हुसैन की विरासत का दर्ज कर प्रस्तुत किये जाने, परन्तु ग्रम पंचायत द्वारा अन्य लोगों के नाम विरासत दर्ज करने एवं इसका कोई कारण या आधार भी ग्रम पंचायत द्वारा अंकित नहीं किये जाने तथा ग्रम पंचायत रोलसाहबसर के पत्र क्रमांकः 74 दिनांक 26.2.2016 द्वारा दिनांक 10.3.2011 को कोई ग्रम सभा नहीं होने ओर ना ही ग्रम पंचायत में विवादित नामांतरकरण से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध होने के कारण अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 10.3.2011 निरस्त कर प्रकरण में जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 10.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर